

11/7/22

अधिवक्तागण उपस्थित। जवाब दावा हेतु  
समय थाहा। पत्रावली वास्ते जवाब  
दावा दिनांक 12/08/22 को पेश हो

10/8/22

आज यह पत्रावली वादी अधिवक्ता के  
द्वारा प्राथमिक पत्र पेश करने पर पेशी  
में ली गई। प्राथमिक पत्र में निवेदन किया  
कि वादीगण उक्त अनवान प्रकरण में  
आगामी कायदाही नहीं करवाना चाहते हैं।  
इसलिए उक्त पत्रावली को आज पेशी  
में ली जाकर इसी स्तर पर खारिज  
की जावे। वादी अधिवक्ता को सुना गया  
व पत्रावली का अवलोकन किया गया।  
वादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र अन्तर्गत  
द्वारा 88,188 R.A. नोटिस करने पर  
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।  
पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम  
होकर दायित्व दफ्तर को



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर

